



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : CCU-66/2024

श्री राजीव आर्य (जन्मतिथि- 21.08.1970), अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), सी.जी.एस.टी. (अपील्स) आयुक्तालय, जयपुर के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 13.05.2024 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 43 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 31.08.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

(चेतन कुमार जैन)
 प्रधान आयुक्त

फा.स. GCCO/II/3/RTR/5/2020/Part-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री राजीव आर्य, अधीक्षक, सी.जी.एस.टी. (अपील्स) आयुक्तालय, जयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का.एवं सत.), सी.जी.एस.टी. (अपील्स) आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र फा.सं. GAPPL/Misc/3/2021/619 दिनांक 20.05.2024 एवम GAPPL/11/25/12/2024/Admn/635 दिनांक 24.06.2024 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री राजीव आर्य, अधीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री राजीव आर्य, अधीक्षक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/ अलवर/उदयपुर/जोधपुर/ अंकेक्षण जयपुर/ अंकेक्षण जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।